भारतीय संविधान की विशेषताएँ

* भारत का संविधान भारत में एक स्वतंत्र तथा एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था करता है।
* संविधान का भाग-III छः मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करता है।

क- समता का अधिकार ख- स्वतंत्रता का अधिकार
ग- शोषण के विरुद्ध अधिकार (घ) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (ङ) संस्कृति और शिक्षा का अधिकार
(छ) संवैधानिक उपचारों का अधिकार

* मौलिक अधिकारों के अनुरक्षण के लिए संविधान निम्नलिखित आदेश जारी कर सकता है।

क- बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas corpus)
ख- परमादेश (mandamus)
ग- प्रतिषेध (prohibition)
घ- उत्प्रेषण (certiorari)
(ङ) अधिकार पृच्छा (quo warranto)

* मूल अधिकार असीमित नहीं हैं, उनपर अंकुश लगाया जा सकता है।
* राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है।
* डॉ० भीम राव अम्बेडकर के अनुसार - राज्य नीति के निर्देशक तत्व भारतीय संविधान का Novel feature है।
* इनका वर्णन संविधान के भाग-IV में किया गया है। इनको तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है।

क- समाजवादी, गाँधीवादी, उदार अभिजनवादी

* राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का उद्देश्य आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है।
* संविधान में वर्णित राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है हालांकि ये न्याययोग्य नहीं होते।

Scanned By Scanner Go

* मिनर्वा मिल्स विवाद (1980) में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान द्वारा नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों के बीच उचित सन्तुलन स्थापित किया गया है।
* मूल भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की कोई चर्चा नहीं थी लेकिन 42 वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह कमिटी की संस्तुति के आधार पर संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को आधारशिला रखी गयी।
* 86 वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 11 वें मौलिक अधिकार को जोड़ा गया।
* संविधान के भाग IV 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है।
* मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों को यह दिलाते हैं कि मौलिक अधिकारों का उपभोग करते समय उन्हें मौलिक कर्तव्यों को नहीं भूलना चाहिए।

Dr. Rama Kant Pandey
S.R.A.P College
Bara chakiya

pol-sc (H)
part-II
paper- I.

Scanned By Scanner Go